2005:CGHC:4789

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 698/1990

बनाफर

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री फ़ख़रूद्दीन, एवं
माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.आर.देशमुख,

अपीलार्थी की ओर से: श्री राकेश जैन सह श्रीमती किरण जैन
एवं श्रीमती निशा चतुर्वेदी , अधिवक्तागण

राज्य की ओर से: श्री यू.एन.एस. देव , शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(पारित करने का दिनांक 18–07–2005)

दिलीप रावसाहेब देशमुख द्वारा,

1. यह अपील श्री एस.के.मिश्रा, द्वितीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 84/89 में दिनांक 18–04–1990 को पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए सिद्धदोष किया गया था, क्योंकि उसने दिनाँक 05–11–1988 को ग्राम–करिया, थाना–अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा में अपनी पुत्री मीरा आयु लगभग 11 वर्ष तथा पुत्र देवधर आयु लगभग 8 वर्ष की हत्या कारित की थी तथा दोनों अपराधों के लिए आजीवन कारावास से दण्डित किया गया था । दण्डादेशों को साथ–साथ चलाने हेतु आदेशित किया गया था।

2. अभियोजन की कहानी संक्षिप्त में यह है कि 4–5 नवम्बर, 1988 की मध्य रात्रि को अपीलार्थी बनाफर अपनी पुत्री मीरा उम्र 11 वर्ष तथा पुत्र देवधर उम्र 8 वर्ष के साथ अपने घर में सो रहा था। उसकी पत्नी एक दिवस पूर्व ही अपने माता–पिता के घर गई थी। अपीलार्थी का पिता चरकू राम दूसरे

घर में सो रहा था। रात्रि में लगभग 2 बजे चरकू राम ने मीरा बाई की चीख सुनी तथा वहां जाकर देखा तो दरवाजा भीतर से बंद था। अपीलार्थी ने भीतर से दरवाजा नहीं खोला तथा कहा कि वह उन सभी को मार देगा। बच्चों की पिटाई की आवाज सुनकर चरकू राम चिल्लाया, जिस पर रामेश्वर प्रसाद अ.सा.–6, सुमर साय अ.सा.–7, महाबीर अ.सा.–10 और नानका अ.सा.–11 घटनास्थल पर पहुंचे और उस समय अपीलार्थी कमरे के भीतर था। अगले ही पल अपीलार्थी कमरे से बाहर आया। उसके हाथ रक्त रंजित थे। अपीलार्थी ने उपरोक्त साक्षियों के समक्ष न्यायिक स्वीकारोक्ति की कि उसने दोनों बच्चों देवधर और मीरा की शेविंग ब्लेड से हत्या कर दी है। थुन्नू राम अ.सा.–8 ने दिनांक 05–11–1988 को लगभग 8.30 बजे सुबह देहाती नालिशी प्र.पी.–20 को ग्राम–करिया, थाना–अम्बिकापुर में दर्ज कराया। देवधर और मीरा के शव का पंचनामा प्र.पी.–20 द्वारा तैयार किया गया। पी–8 और प्र.पी–19. शवों का शवपरीक्षण जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर के सहायक शल्य चिकित्सक डॉ. ए.के. जैन ने किया। डॉ. जैन ने प्र.पी.–3 और प्र.पी.–4 रिपोर्ट में पाया कि दोनों शवों की गर्दन के अगले हिस्से में दाएं स्टेमोक्लेनॉइड मांसपेशी से बाएं स्टेमोडेनॉइड मांसपेशी तक एक कटा हुआ घाव था, त्वचा का फ्लैप काफी दूर स्थित था, जिसमें श्वासनली, अन्नप्रणाली, कैरोटिड वाहिकाएं, थायरॉयड ग्रंथि के आर–पार कटा हुआ दिखाई दे रहा था। डॉ. जैन ने व्यक्त किया कि देवधर और मीरा बाई की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी और गर्दन में रक्त वाहिकाओं, श्वास और आहार नली में आघात और चोट के कारण हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अन्वेषण के दौरान, अपीलार्थी की मेमोरेंडम प्र.पी.–9 पर, दिनांक 05–11–1988 को उसके घर से एक गोल ठोस पत्थर और शेविंग ब्लेड जब्त किया गया। अपीलार्थी के घर से रक्तरंजित लुंगी प्र.पी–13 भी जब्त किया गया। अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा–302 के अधीन दण्डनीय अपराधों हेतु विचारण चलाया गया। अभियुक्त ने अपने अपराध को अस्वीकार किया । अभियोजन ने 12 साक्षियों का परीक्षण कराया। अपीलार्थी द्वारा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन के साक्ष्य के साक्ष्य का अवलंब लेते हुए अपीलार्थी को अपने संतानों अर्थात् मीरा और देवधर की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा–302 के अधीन सिद्धदोष किया और उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा–302 के अधीन प्रत्येक अपराध के लिए आजीवन कारावास से दण्डित किया। दण्डादेशों को साथ– साथ चलाने हेतु आदेशित किया गया।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने केवल यह तर्क किया कि मीरा और देवधर की हत्या का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपीलार्थी के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित नहीं कर पाए।

5. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी को राज्य शासन द्वारा दिनांक 18–12–2002 को "गुरु घासीदास जयंती" के अवसर पर परिवीक्षा का लाभ प्रदान किए जाने पर जेल से रिहा किया गया था।

6. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया है एवं अभिलेख का परिशीलन किया है तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का भी परिशीलन किया है। जहाँ तक मीरा (लगभग 11 वर्ष) और देवधर (लगभग 8 वर्ष) जो दोनों अपीलार्थी की संतानें हैं, की मृत्यु की प्रकृति का संबंध है, डॉ. ए.के. जैन अ.सा.–3 के साक्ष्य से इस तथ्य में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि मीरा और देवधर की मृत्यु हत्यात्मक थी, क्योंकि दोनों की हत्या एक कठोर और नुकीली वस्तु से की गई थी और उनकी स्टेनोक्लेनॉइड मांसपेशियाँ पूरी तरह से कटी हुई थीं और श्वासनली, कैरोटिड वाहिकाएँ, थायरॉयड ग्रंथि भी पूरी तरह से कटी हुई थीं। इस प्रकार, यह संदेह से परे साबित होता है कि मीरा और देवधर दोनों बच्चों की मृत्यु हत्यात्मक थी।

7. हमने 'थुन्नू राम अ.सा.–8, रामेश्वर प्रसाद अ.सा.–6, सुमर साय अ.सा.–7 और महाबीर अ.सा.–10' के साक्ष्यों का भी परिशीलन किया है और पाया है कि उनका साक्ष्य पूर्णतः निराधार है। विचारण न्यायालय ने उनके अभिसाक्ष्य का उचित अवलंब लिया है जिससे यह स्थापित होता है कि शोर होने पर ये गवाह घटनास्थल पर पहुँचे थे और उन्होंने पाया कि अपीलार्थी कमरे के भीतर था और बाहर नहीं आ रहा था। यद्यपि, कुछ समय उपरांत जब अपीलार्थी बाहर आया, तो उसके हाथ पर रक्त जैसे धब्बे थे और उसने इन साक्षियों के सामने यह न्यायिक स्वीकारोक्ति की कि उसने अपने संतानों मीरा और देवदत्त को शेविंग ब्लेड से काट दिया था। प्रतिपरीक्षण में इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि इस अपीलार्थी द्वारा यह न्यायेतर स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से नहीं अपितु दबाव में आकर की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हमने पुलिस उपाधीक्षक श्री रतन सिंह, अ.सा.–12 के साक्ष्य का भी परिशीलन किया है। इससे यह स्थापित होता है कि उन्होंने अपीलार्थी का मेमोरेंडम प्र. पी–9 दर्ज किया था। अपीलार्थी की निशानदेही पर, उन्होंने प्र. पी. 10 के अनुसार शेविंग ब्लेड अपीलार्थी के घर से बरामद किया था।

9. इस प्रकार अभियोजन के साक्ष्य पर समग्रता से विचार करने के उपरांत, हमारा सुविचारित अभिमत यह है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त की निर्दोषता की परिकल्पना पूर्णतः अपवर्जित हैं और अपीलार्थी के दोष की परिकल्पना पूर्णतः सुसंगत हैं।

10. हमारा सुविचारित अभिमत यह है कि अपीलार्थी की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराधों अर्थात् अपने संतानों, मीरा और देवधर की हत्या कारित करने हेतु दोषसिद्धि साक्ष्यों पर आधारित थी। अतः हमें विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई दुर्बलता प्रतीत नहीं होती।

11. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

सही/– फ़ख़रूद्दीन न्यायाधीश 18–07–2005	सही/– दिलीप रावसाहेब देशमुख न्यायाधीश 18–07–2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**